

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ताप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (एनईसी) काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दानों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1150-DEV INSTITUTE OF TECHNICAL EDUCATION, BARHAN, ETMADPUR, AGRA

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	प०आई०सी०टी०ई०/ पौ०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
5	CHEMICAL ENGINEERING (PETRO CHEMICAL)	60	60
6	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
7	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद-एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद-विनियमवली 1982, सेनेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य तिनित्त नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उपरो) प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उपरो, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपरो तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपरो द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण/परीक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिस्ट्रारों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।



संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ स्थापित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य काम के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशासन की जायेगी।

- ✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण द्वारा यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आई0पी0रिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जात है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0सं0- प्राश्न/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, DEV INSTITUTE OF TECHNICAL EDUCATION, BARHAN, ETMADPUR, AGRA



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या: प्राशिप/परिषद सन्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

:-कार्यालय ताप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सन्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सन्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सन्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सन्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सन्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रदेश क्षमता हेतु सन्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1150-DEV INSTITUTE OF TECHNICAL EDUCATION

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	प०.जाई०सी०टी०ई०/पी०सी०जाई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित वर्षों क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित वर्षों क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
5	CHEMICAL ENGINEERING (PETRO CHEMICAL)	30	30
6	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
7	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60

सन्बद्धता हेतु शर्तें

✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/10-3099/9/2022 टी०टी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित सम्बद्ध संस्थाओं को लीट के विरुद्ध भारतीय न्यायालय में पंजीत रिट पत्रिका संख्या 8927/2023 में भारतीय न्यायालय

के अतिरिक्त विभाग के अधीन सम्बद्ध विंगों को जारी है।

- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/जाइसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/जाइसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मासिक के अनुरूप संस्थाएं नै समस्त संकायन (भूति, भवन, डीब उपकरण) आदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनाली 1992, विनियमनाली-2000, सेक्टर विनियमनाली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनदोषों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही सर्वोच्च छात्रछात्रा के प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदोष पत्राची हाने, और लघुदुमर कार्यवाही किया जाता आवश्यक होगा। उक्त निर्धारण समिति द्वारा यदि वर्ष 2023-24 हेतु जील का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो जील की सर्वोत्तम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा जाबदित छात्रों का ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनदोषों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थाएं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि-नियमों/अधिनियमों/शासनदोषों/निर्देशों एवं निर्देशों प्राविधिक शिक्षा 3090 संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3090 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 द्वारा बनावे गये नियमों/विनियमों/अदेशों/निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थाएं का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/जाइसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संबंध में सम्पूर्ण उत्तरप्राविधिक संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद टायर किया जाता है तथा टायर वाद के संबंध में सा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/जाइसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्राप्त नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत सभीसम अंतरण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर संस्था की सम्पूर्ण सूचनाओं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ, भूति, स्टाफ, सज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रछात्रा शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिषण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराते के साथ रेगुलर सिकने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था एक सुनिश्चित हो ले कि संस्था में सम्पादित/अंशकिय पाठ्यक्रम को चलाते जाने हेतु निरीक्षण समिति के सम्पूर्ण उपलब्ध कराये गये अभिलेख भूति-भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समिसेियाँ और उपसमिसेियाँ) संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता विनियमनाली, 2000 के प्राविधालादुवार परिषद की प्रांगण पर अपने कार्यवाही, भवन और कर्मचारी को परिषद की परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रहेंगी।
- ✓ संस्था के अधिक सम्पत्ती निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूति, भवन, डीब/सज्जा, उपकरण एवं अन्य सज-सज्जा ए0आइ0पी0पी0ई0पी0पी0आइ0परिषद के मासिकदुमर उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विधेकादुवार अनुपालनपत्रक कार्यवाही

श्री वासुदेवा।।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पू०सं०- प्राक्षिप/परिषद सन्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक DEV INSTITUTE OF TECHNICAL EDUCATION



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

राष्ट्रिय शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश शासन के विरुद्ध की गई याचिका का निराकरण किया जाता है तथा याचिका दादा के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी कक्षा की प्रतिष्ठिति संबंधी आदेश विधायन किया जाता है जो सम्बन्ध प्रतिष्ठिति संबंधित कक्षा को जारी करता है।

- ✓ संस्थाओं को संपुर्ण प्रदेश परीक्षा परीषद्, उच्च प्रदेश संपुर्ण प्रदेश राज्यके को प्रदेश हेतु आचार्यिक अनुमतिपत्र प्राप्त होने के पूर्व 10अर्ध0सी0टी0टी0टी0 सी0सी0अर्ध0 में अनुमतिपत्र प्राप्त का परीषद् कार्यलय को उपस्थित आना होगा अन्यथा उन्हें प्रदेश की (राज्यनियंत्रित के संबंध में प्रदेश परीक्षा के अधीन परीक्षा नहीं) अनुमति प्राप्त नहीं की जायेगी।
- ✓ उच्च प्रदेश कक्षा द्वारा प्रेषित हेतु कक्षा-समय पर निर्देश संबंधित आदेश विधायन का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने कक्षाकेन्द्र या संस्था की सम्बन्ध सुचनाओं जैसे संस्था की ऐतिहासिक सूची भूमि, स्टाफ, कक्षा-सज्जा, आरक्षण, पत्राचार किया जाने वाला गुणक आकाश गुणक आदि का विवरण उपस्थित आना होगा।
- ✓ संस्था की विज्ञान-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त आकाश गुणकमें आने के बाद प्रेषित सूची के अनुसार में सम्बन्ध उपयुक्त उपयुक्त सुविधित आनी होगी।
- ✓ संस्था को सुविधित हो तो कि संस्था में प्रत्येक वर्षाधिक प्राध्यापक की सुचनाएं जारी हेतु निर्दिष्ट प्रतिष्ठिति के सम्बन्ध उपस्थित आने एवं सुविधित, भूमि-समय, कक्षाकेन्द्र, आरक्षण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्राध्यापक के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाता है और परीषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपस्थित का प्रेषित किसी अन्य कार्य के लिए करता है तो सम्बन्ध संस्था की सम्बन्ध सम्बन्ध विधायन किया जाने की आवश्यकता की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वीकृत निर्देशन के दौरान यदि संस्था में भूमि, कक्षा, प्रयोगशाला, आरक्षण एवं अन्य सज्जा-सज्जा 10अर्ध0सी0टी0टी0टी0 सी0सी0अर्ध0 परीषद् के सम्बन्धित उपस्थित नहीं प्राप्त करता है तो संस्था की सम्बन्ध सम्बन्ध आ ही जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित जारी का अनुपालन न किये जाने अधीन जारी का उपस्थित किये जाने की विधि में निर्देशित अनुपालनानुसार आवश्यकता की जायेगी।


(राज्य0अर्ध0 कक्षा)

व्यक्ति

सूचना- प्राथमिकपरिषद् सम्बन्धित2022E/7818-8465

दिनांक 30/08/2022

प्रतिष्ठिति-

प्रधानाचार्य0निर्देशक DEY INSTITUTE OF TECHNICAL EDUCATION


(राज्य0अर्ध0 कक्षा)

व्यक्ति